प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के अंतर्गत आने वाले विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2016–17 की अवधि के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित न हो सके प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2016–17 की अवधि के पश्चात् के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन स्थिति को दर्शाते हुए सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियां सीमित नमूना–जांच पर आधारित हैं। शासन से यह अपेक्षित है कि वे समस्त विभागों की कार्य–पद्धति की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि उनमें इस प्रकार के प्रकरण विद्यमान न हों।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 का अनुच्छेद 18(1)(बी) प्राविधानित करता है कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को उन लेखाओं, बहियों एवं अन्य प्रपत्रों की मांग करने का अधिकार है जो उन लेन–देनों से सरोकार रखते हों या उनका आधार हों अथवा अन्यथा प्रासंगिक हों जिन तक लेखापरीक्षा से संबंधित उनके कर्तव्य विस्तारित हैं। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 के नियम 181 में और भी प्रवर्धित किया गया है जो प्रावधानित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा निकाय को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित एवं कार्यान्वित करना चाहिये कि लेखापरीक्षा द्वारा वांछित समस्त सूचनाएं एवं अभिलेख उन्हें समयान्तर्गत उपलब्ध कराए जायें।

इन स्पष्ट प्रावधानों के बाद भी लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के कई प्रकरण हैं। यह लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को सीमित करता है। यद्यपि ऐसे प्रकरणों को प्रत्येक अवसर पर संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, संबंधित अधिकारियों द्वारा उन पर आगे की कार्यवाही समानरूप से त्वरित एवं प्रभावी नहीं थी।

वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु 10 योजनाओं की लेखापरीक्षा (नरेगा–सॉफ्ट ग्रामीण विकास विभाग पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा, खेल विभाग की गतिविधियां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–कृषि विभाग, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार की कार्यविधि–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना का कार्यान्वयन–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग की गतिविधियां, जेलों की कार्य पद्धति–कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम– सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु आदर्श नगर योजना का कार्यान्वयन–शहरी विकास विभाग एवं रीजूविनेशन ऑफ रिवर गंगा–पंचायती राज विभाग) के दौरान 455 में से 108 इकाइयों द्वारा लेखापरीक्षा में वांक्षित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश क प्रयोग को गंभीर रुप से सीमित करता है तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों की जवाबदेही के अभाव एवं धोखाधड़ी, दुर्विनियोग व गबन इत्यादि को छुपाने के रूप में परिणामित हो सकता है। अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के प्रकरण को सतर्कता की दृष्टिकोण से चिन्हित करत हुऐ संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार से उचित कार्यवाही करन का आग्रह किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखापरीक्षित सात योजनाओं (नरेगा–सॉफ्ट ग्रामीण विकास विभाग पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा, खेल विभाग की गतिविधियां, तकनीकी शिक्षा विभाग की गतिविधियां, जेलों की कार्य पद्धति, एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम तथा छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु आदर्श नगर योजना का कार्यान्वयन) के सम्बन्ध में जारी किए गए 4,046 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के सापेक्ष संबंधित प्रभारी अधिकारियों से 787 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए तथा 164 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के आंशिक उत्तर प्राप्त हुए।

संबंधित प्रशासकीय सचिवों को प्रेषित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सापेक्ष 11 प्रकरणों (सिंचाई विभाग–09, राजस्व विभाग–01 एवं पंचायती राज विभाग–01) के उत्तर प्राप्त नहीं हुऐ।

यह प्रतिवेदन दो अध्यायों में विभाजित है।

अध्याय–1 एक परिचय है जिसके अन्तर्गत लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों की रुपरेखा, योजनाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर शासन एवं लेखापरीक्षित इकाइयों की प्रतिक्रिया एवं पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का विवरण सम्मिलित है।

अध्याय–2 गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीयक की कार्यविधि की अनुपालन लेखापरीक्षा पर आधारित है जिसमें लेनदेनों की लेखापरीक्षा के सात प्रस्तर भी सम्मिलित हैं। गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना में अनुबंधों को प्रदान किये जाने में पाई गई गंभीर अनियमिततओं (₹ 1,525.28 करोड़) को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।